राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री चेतन देवड़ा आई.ए.एस)

प्रकरण सं. 02/2018 दायर दिनांकः–23.05.2018

फैसल दिनांकः–07.06.2019

श्री सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी.......

बनाम

श्री मेसर्स आदिनाथ किराणा स्टोर श्री संजय पिता अशोक जैन माथुगामडा रोड डूंगरपुर (राज0)

विपक्षी....

उपस्थितिः– 1 विभागीय पेरोकार – प्रार्थी

2 श्री लक्ष्मीलाल जैन एडवोकेट – विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

– : निर्णय : –

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की ओर से विरूद्ध विपक्षी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध रूप से भण्डारन किये जाने से जप्तशुदा सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा पखाडे के दौरान दिना 12.04.2018 को अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक रूप से उपयोग करने के संबंध में विपक्षी मैसर्स आदिनाथ किराणा स्टोर श्री संजय जैन पिता अशोक कुमार जैन माथुगामडा रोड नेहा पेट्रोल पम्प के सामने की प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षण श्री जोगेन्द्र सिंह एवं श्री लालशंकर डामोर द्वारा जांच की गई। मौका जांच के दौरान 3 घरेलू गैस सिलण्डर गैस से भरे हुए एवं 1 घरेलू खाली गैस सिलेण्डर विपक्षी के फर्म (दुकान) पर पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर

7/6/19

जिला कलक्टर

डूंगरपुर

Scanned by CamScanner

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर. कमांक	सरकारी तेल कम्पनी का नाम	सिलेण्डर एलपीजी का उपदर्शित मान भार/क्षमता कि. ग्रा. में	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित भार/टेयर वेट कि.ग्रा. में	भौतिक सत्यापन सिलेण्डर का भारमय एलपीजी कि. ग्रा. में	शुद्ध गैस भार 6-5) कि.ग्रा. में
1	2	3	4	5	6	7
1	1339775	एचपीसीएल	14-200	15-700	29-900	14-200
2	0647991	एचपीसीएल	114-200	15-700	27.00	11-300
3	781451	आईओसी	14-200	15-800	24.00	8-200
4	183214	आईओसी	14-200	15-800	15-800	नील

विपक्षी सक उक्त भण्डारित 3 भरे हुए गैस सिलेण्डर एवं 1 खाली गैस सिलेण्डर फर्म पर रखने के संबंध में प्रार्थी द्वारा पुछे जाने पर कोई अनुज्ञापन/विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये विपक्षी द्वारा उक्त 3 घरेलू गैस भरे सिलेण्डर एवं 1 खाली गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित कर बिकी करने का कृत्य पाया गया। विपक्षी का उक्त कृत्य एल.पी.जी. ओर्डर 2000 की शर्तो का उल्लघंन करने से उक्त गैस सिलेण्डरों को जप्त सरकार कर जय दुर्गा इण्डेन गैस एजेन्सी डूंगरपर को सुपुर्द किये। विपक्षी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों को भण्डरित कने के वैध दस्तावेज/अनुज्ञापन प्रस्तुत नही करने से एल.पी.जी. आर्डर 2000 की शर्तो के उल्लघन में जप्त शुदा सिलेण्डरों का राजसात करने प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा उनके विद्वान अभिभाषक ने जवाब एव दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में विभागीय पेरोकार एवं विपक्षी के विद्वान अभिभाषक की बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने जवाब के तथ्यों की पुनरावृति की गई।

विभागीय पेरोकार प्रवर्तन निरीक्षण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि खाद्य सुरक्षा पखवाडे के दौरान दिनांक 12.04.2018 को विपक्षी की फर्म की जांच करने पर 3 घरेलू भरे हुए गैस सिलेण्डर व एक खाली गैस सिलेण्डी अवैध रूप से भण्डरित किये गये है। विपक्षी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डरों का अवैघ रूप से बिकी करने हेतु भण्डारित किया जाना पाया। विपक्षी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर भण्डारित करने के कोई विधिक/अनुज्ञापन प्रस्तुत नही किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर बिना किसी अनुज्ञापन दस्तावेज के अवैध रूप से भर्ण्डारित कर बिकी किये जाने एवं एल0पी0जी0 आर्डर 2000 की शर्तो का उल्लघन किया है। विभागीय पेरोकार ने उक्त तथ्यों के आधार पर जप्त शुदा 3 घरेलू गैस भरे तथा 1 खाली गैस सिलेण्डर को राजसात करने का अनुरोध किया गया।

7/6/19
जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि दिनांक 13.04.2018 को विपक्षी की सगी बडी भाभी श्रीमति कल्पना पत्नि दीपक जैन का जन्म दिन होकर उसे मनाने हेतु रिश्तेदारों एवं मिलने कालों के लिये भोज का आयोजन किया गया था। विपक्षी केउक्त कथन की पुष्टि प्रस्तुत पासपोर्ट में श्रीमति कल्पना जैन की अंकित जन्म दिनांक से होती है। जिनमें जन्म दिनांक 13.04.1972 अंकित है।

विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि हिन्दुस्तान पैटोलियम का एक गैस सिलेण्डर श्री दीपक के सगे जमाई श्री राहुल पुत्र महावीर जैन जिनके पिता श्री महावीर पुत्र श्री खुबचन्द जी जैन के नाम पंजीकृत है, उनसे लिया गया । दूसरा गैस सिलेण्डर विपक्षी के सगे जमाई श्री गौरव पुत्र राजेन्द्र सेठ जिनके पिता श्री राजेन्द्र पुत्र श्री भाग्यचन्द जी सेठ के नाम पंजिकृत है उनसे प्राप्त किया गया। विपक्षी स्वंय के नाम पंजीकृत इण्डियन आईल का एक सिलेण्डर दुकान पर लाया गया था तथा 1 खाली गैस का सिलेण्डर विपक्षी के सगे भाई श्री दीपक के स्वंय के नाम का इसमें गैस सिलेण्डर भरवा कर ले जने हेतु दुकान पर लाया गया था। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने विपक्षी की बडी भाभी के जन्मदिन के कार्यक्रम में भोज के लियें एकत्रीत किये गये सिलेण्डरों की गैस उपभोक्ताओं की जारी कर गई डायरियों की प्रति तथा उनके शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उक्त रिश्तेदारों से गैस सिलेण्डर प्राप्त किये गये थे उनके राशन कार्ड की प्रतियां पेश कर बताया कि सभी गैस सिलेण्डर विपक्षी के रिश्तेदार है तथा विपक्षी के भाभी के जन्मदिन के आयोजन हेतु भोज करने के लिये विपक्षी की दुकान पर एकत्रित किये गये थे। विपक्षी गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यापार नही करता है। विपक्षी के विद्वान अभिभाषक ने तथ्यों की जानकारी किये बिना ही विपक्षी के विरूद्ध यह प्रकरण कार्यवाही बनाना विधि विरूद्ध है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर जप्त शुदा गैस सिलेण्डर विपक्षी को वापस लौटाने का विपक्षी ने अनुरोध किया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

उभय पक्षकारों की बहस एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया। विपक्षी द्वारा 3 भरे हुए गैस सिलेण्डरों एवं 1 खाली गैस सिलेण्डर उनकी भाभी के जन्मदिन दिनांक 13.04.2018 को होने से विपक्षी ने दिनांक 12.04.2018 को अपनी फर्म(दुकान) पर एकत्रित किये जाने का कथन किया है। प्रस्तुत पासपोर्ट श्रीमति कल्पना के उनकी अंकित जन्म तिथी 13.04.1972 है। विपक्षी द्वारा उक्त एकत्रित किये गये गैस के सिलेण्डर भाभी के जन्मदिन का कार्यक्रम हेतु भोजन बनाने के लिये अपने रिश्तेदारों से एकत्रित किये जाने का कथन किया है। विपक्षी द्वारा उनकी भाभी का जन्मदिन दिनांक 13.04.2018 को होने के प्रमाण में पास्टपोर्ट की प्रति पेश की गई जिससे भाभी का जन्म दिनांक प्रमाणित होती है। विपक्षी द्वारा उक्त 3 घरेलू गैस भरे सिलेण्डर तथा 1 घरेलू खाली गैस सिलेण्डर जिन रिश्तेदारों से जन्मदिन आयोजन हेतु प्राप्त किये थे, उनके शपथ पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड के दस्तावेज पत्रावली पर पेश किये गये है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेज एवं उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर उनकी भाभी के जन्मदिन के

Scanned by CamScanner

भोज कार्यक्रम हेतु रिश्तेदारो से एकत्रित करने के तथ्यों को नही मानने का कोई आधार नही है। जप्त करने की कार्यवाही करने से पूर्व कोई डमी ग्राहक भेजकर या डिकोय ऑपरेशन करना भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेन्डर का अवैध रूप से भण्डारण या व्यवसाय किया जा रहा था। साथ ही जप्तशुदा सिलेन्डरों में भी एक पूरा खाली है। एक पूरा निर्धारित वजन है एवं दो में पूरी गैस नही होकर एक में कम 11.3 किग्रा एवं अन्य में 8.2 किग्रा है। इससे भी यह साबित होता है कि यह सिलेन्डर रिश्तेदारों से एकत्र किये गये है अन्यथा सभी सिलेन्डरों मे पूरी मात्रा में गैस होती। अतः मेरा विनम्र मत है कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों की अवैध बिक्री किया जाना प्रमाणित नही होता है। अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजो को दृष्टिगत प्रार्थी का प्रार्थना खारीज योग्य होकर जप्त शुदा 3 घरेलू भरे गैस व 1 घरेलू खाली सिलेण्डर विपक्षी को वापस लौटाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रर्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा जप्तशुदा 3 घरेलू गैस से भरे सिलेन्डर एवं 1 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त शुदा सुपुर्दगीकर्ता से प्राप्त कर विपक्षी को लौटाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner